राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 1348/111/14 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर

19.5.2014

यह निगरानी अपर आयुक्त,सागर संभाग,सागर व्दारा प्रकरण कमांक 1014/अ–6/11–12 में पारित आदेश दिनांक 17–7–2013 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3/ अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन में वर्णित तथ्यों पर आवेदक के अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 17–7–13 की आवेदक को कोई जानकारी नहीं दी गई। जानाकरी सर्वप्रथम दिनांक 8–4–14 को पटवारी से हुई कि आपका प्रकरण खारिज हो गया है, तब न्यायालयं में संपर्क करने पर दिनांक 9–4–14 आदेश की जानकारी ज्ञात हुई और 11–4–14 को नकल प्राप्त होने पर समयावधि में निगरानी प्रस्तुत की गई है।

4/ आवेदक की ओर से अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के प्रकरण कमांक 1014/अ–6/11–12 अपील की आर्डरशीट दिनांक 17–7–13 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है जिसके हासिये में इसी दिन पक्षकार के अभिभाषक ने अथवा पक्षकार ने आदेश टीप किया है मय दिनांक के उनके हस्ताक्षर है, तब अवधि विधान की धारा–5 में दिये गये तथ्य एंव उसके समर्थन में अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्क अविश्वसनीय है।

5/ स्पष्ट है कि अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 17–7–13 के विरूद्व न्यायालय में दिनांक 25–4–14 को प्रस्तुत निगरानी 270 दिवस विलम्ब से प्रस्तुत है जबकि इस हेतु मात्र 60 दिवस की समयसीमा निर्धारित है , 270–60 दिवस = 210 दिवस में से प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्ति में व्यतीत समय 3 दिन कम करने पर 207 दिवस विलम्ब से निगरानी प्रस्तुत होना पाई गई है।

(अ) म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959– धारा 47 – आदेश की जानकारी का दिनांक एंव उसका सही श्रोत साबित नहीं किया गया – विलम्ब क्षमा योग्य नहीं है।

(ब) म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959– धारा 47 – अंतिम तर्क उपरांत आदेश हेतु तिथी नियत – अंतिम आदेश दिनांक की तिथि अभिभाषक के अभिज्ञान में है– आदेश नियत दिनांक को अभिभाषक ने टीप नहीं किया– आदेश की सूचना होना मानी जावेगी – प्रथक से सूचना देना आवश्यक नहीं है।

(स) म0प्र0 भू राज. संहिता,1959–धारा 50 सहपठित 47– अनुचित विलम्ब को क्षमा करके एक पक्षकार को लाभ देते हुये द्वितीय पक्षकार को प्रोदभूत मूल्यवान अधिकार को विनष्ट नहीं किया जा सकता।

6/ उपरोक्त कारणों से एंव निगरानी अवधि–वाह्य पाये जाने से अमान्य की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा किया जावे।

सदस्य